**Court No. - 43**

**Case :-** CRIMINAL REVISION No. - 3126 of 2024

**Revisionist :-** Mahipal Singh
**Opposite Party :-** State of U.P. and Another
**Counsel for Revisionist :-** Bhanu Bhushan Jauhari,Rishi Bhushan Jauhari
**Counsel for Opposite Party :-** G.A.

**Hon'ble Dr. Gautam Chowdhary,J.**

1. निगरानीकर्ता की ओर से यह दाण्डिक पुनरीक्षण आवेदन पत्र, प्रकीर्ण वाद सं० 980 सन 2016, अन्तर्गत धारा 125 दं०प्र०सं०, थाना सुभाषनगर, जिला बरेली, जिसमें अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कक्ष सं० 2, बरेली द्वारा पारित आदेश दि० 18.03.2024 के विरूद्ध योजित किया गया है।

2. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपर प्रधान न्यायाधीश , पारिवारिक न्यायालय, कक्ष सं० 2, बरेली द्वारा प्रत्युत्तरदाता सं०: 2 का भरण-पोषण प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए, आदेश दि० 18.03.2024 के द्वारा निगरानीकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वह प्रत्युत्तरदाता सं०:2 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से निर्णय की तिथि तक 7000/- रूपये तथा निर्णय की तिथि से 20000/- रूपये प्रतिमाह भरण-पोषण की धनराशि अदा करें, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि उक्त आदेश पारित करते समय आवेदक के संपूर्ण परिस्थितियों व आय का ध्यान नहीं किया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय के उपरोक्त आदेश पर स्थगन लगा दिया जाय।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है। जिससे प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त प्रश्नगत आदेशानुसार अब तक के संपूर्ण बकाया धनराशि की पचास प्रतिशत धनराशि 6 बराबर किश्तो में प्रत्युत्तरदाता सं०: 2 को अदा करे।

6. निगरानीकर्ता द्वारा बकाये की पहली किश्त दिनांक 04.08.2024 तक, दूसरी किश्त दिनांक 04.09.2024 तक, तीसरी किश्त दिनांक 04.10.2024 तक, चौथी किश्त दिनांक 04.11.2024 तक, पांचवी किश्त दिनांक 04.12.2024 एवं छठवीं किश्त दिनांक

04.01.2025 तक अदा की जाएगी तथा प्रश्नगत प्रकरण में नियत की गयी प्रतिमाह भरण-पोषण की धनराशि, निगरानीकर्ता द्वारा यथावत प्रतिमाह प्रत्युत्तरदाता सं०ः 2 को नियमित रूप से अदा की जाएगी।

7. यदि निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षीगण को बकाये धनराशि की उक्त धनराशि किश्तवार अदा की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा यथाआदेशित प्रतिमाह भरण -पोषण धनराशि की नियमित अदायगी की जाती है, तो **प्रश्नगत आदेश के प्रकाश में निगरानीकर्ता के विरूद्ध कोई प्रपीड़क कार्यवाही नहीं की जाएगी**। किन्तु यदि निगरानीकर्ता द्वारा इस आदेश के अनुसार नियत समयानुसार बकाया धनराशि की अदायगी नहीं की जाती है तथा नियत की गयी धनराशि प्रतिमाह अदा नहीं की जाती है , तो यह अन्तरिम आदेश स्वतः निष्प्रभावी समझा जाय।

8. विपक्षी सं० 2 को पंजीकृत डाक द्वारा, अग्रिम नियत तिथि तक प्राप्त होने वाली नोटिस निर्गत की जाय। आवेदक की ओर से नोटिस भेजने के संबंध में आवश्यक पैरवी 10 दिन के अन्दर की जाय।

9. इस दाण्डिक निगरानी का अंतिम निस्तारण 4 माह उपरांत उपरोक्त वर्णित बकाया धनराशि की अदायगी पूर्ण होने के पश्चात् किया जाएगा।

10. तद्नुसार इस वाद को दि० **06.08.2024** को अतिरिक्त वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाय।

11. आवेदक द्वारा इस आदेश के प्रकाश में प्रत्युत्तरदाता सं०ः2 को दिए जाने वाली बकाया धनराशि एवं प्रतिमाह दी जाने वाली भरण-पोषण की धनराशि, इस वाद के अंतिम निस्तारण के निर्णयानुसार समयोजित की जाएगी एवं नियत तिथि पर निगरानीकर्ता शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह अवगत कराया जाएगा कि उसके द्वारा प्रत्युत्तरदाता सं०ः2 तो उपरोक्तानुसार भरण पोषण भत्ते के बकाया धनराशि की अदायगी की जा रही है।

**Order Date :-** 4.7.2024
CP.sahani

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad